न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.कं. / 2016 पुनरीक्षण

1. मनोज कुमार पुत्र नर्मदा प्रसाद लटौरिया
2. नीरज कुमार पुत्र नर्मदा प्रसाद लटौरिया
3. धीरज कुमार पुत्र नर्मदा प्रसाद लटौरिया

निवासीगण खजुराहो तहसील राजनगर जिला छतरपुर (म.प्र.)

..... आवेदकगण

विरूद्ध

म.प्र. शासन

..... अनावेदक

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) राजनगर जिला छतरपुर (म.प्र.) द्वारा प्रकरण क्रमांक 04/अ–89अ(13)/10–11 में पारित आदेश दिनांक 30.7.2011 के विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण का निम्नानुसार निवेदन है कि –

1– यह कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अवैध अनुचित तथा विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्त योग्य है।

2– यह कि, मौजा राजनगर मं स्थित भूमि ख.नं. 2297/2, 2298, 2299/2, 2300, 2305/2, 2307, 2308/3, 2308/4 कमंश रकवा 0.202, 0.518, 0.165, 0.045, 0.385, 0.437, 0.523, 0.007 है0 कुल किता 08 कुल रकवा 2.282 है0 भूमि के अभिलिखित भूमिस्वामी आवेदकगण है व मौके पर काबिज है। आवेदकगण ने अपने सगे संबंधियों को कुछ भूखण्ड निवास की दृष्टि

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3609–एक/2016 जिला–छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4–01–2017	1– आवेदकगण के अधिवक्ता श्री मुकेश भार्गव उपस्थित अनावेदक शासन के अधिवक्ता श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव उपस्थित उभयपक्ष अधिवक्तागण के तर्क श्रवण किये। 2– मैने प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी (रा.) राजनगर जिला–छतरपुर (म.प्र.) के प्रकरण क्रमांक 04/अ–89अ(13)/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 30.07.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। 3– आवेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में कहा गया है कि आवेदकगण की भूमि मौजा राजनगर तहसील राजनगर जिला छतरपुर में स्थित भूमि ख.नं. 2297/2, 2298, 2299/2, 2300, 2305/2, 2307, 2308/3, 2308/4 कमशः रकवा 0.202, 0.518, 0.165, 0.045, 0.385, 0.437, 0.523, 0.007 है0 कुल किता 08 कुल रकवा 2.282 है0 भूमि के अभिलिखित भूमिस्वामी आवेदकगण है व मौके पर काबिज है। आवेदकगण की ओर से यह भी तर्क दिया कि वादगस्त भूमि के भूमिस्वामी आवेदकगण है। भूमिस्वामी को अपनी भूमि विक्रय करने के कानूनन पूरा अधिकार है जो ट्रांसफर ऑफ प्रापर्टी एक्ट के तहत आवेदकगण को प्राप्त है। आवेदकगण ने शासन की पूर्ण स्टांप डयूटी अदा कर अपने सगे संबंधियों को कुछ भूखण्ड निवास की दृष्टि से दिये है। आवेदक को अपने भूखण्डों को विकय करने में किसी अनुमति या लाईसेंस की आवश्यकता नहीं है। यह भी तर्क दिया गया कि आवेदकगण द्वारा कॉलोनी नहीं बनाई जा रही है न कोई निर्माण कार्य किया गया था यहतो क्रेताओं पर है कि वह उसमें क्या काम करते हैं	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	कैसा निर्माण कार्य कराते हैं ऐसे में आवेदकगण को निर्माण कार्य की अनुमति लेने का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता। प्रकरण में ऐसी कोई साक्ष्य भी नहीं है जिस पर से यह माना जाये कि आवेदकगण या अन्य किसी द्वारा निर्माण कार्य किया है। यह भी तर्क दिया गया कि आवेदकगण द्वारा न तो कॉलोनी विकसित किया जाना ही साबित हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय के मत में वाद भूमि विक्रय किया जाना माना भी जाये तब बाद भूमि का आवेदकगण भूमिस्वामी है उन्हें अपनी भूमि विक्रय करने का संवैधानिक अधिकार है जिस पर किसी तरह की रोक नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने क्रेताओं को न तो पक्षकार बनाया न ही उनकी सुनवाई की गई उन्हें सुने बिना पीठ पीछे राजस्व अभिलेख में विक्रय शुदा भूखण्डों को शामिल कर शासकीय दर्ज करने का आदेश देने में त्रुटि की है। इस प्रकार सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) राजनगर द्वारा आवेदकगण के स्वामित्व की भूमि के संबंध में पारित आदेश दिनांक 30.07.2011 निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया है। 4– अनावेदक शासन के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश उचित होने से स्थिर रखे जाने का निवेदन किया। 5– उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्को के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। आवेदकगण वादग्रस्त भूमि ख.नं. 2297/2, 2298, 2299/2, 2300, 2305/2, 2307, 2308, 2308/3, 2308/4 कुल किता 08 कुल रकवा 2.282 है0 भूमि के अभिलिखित भूमिस्वामी है आवेदकगण ने वाद भूमियों में से अंश रकवा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से अन्य व्यक्तियों को विक्रय कर दी है आवेदक को वाद भूमि विक्रय करने का पूर्ण अधिकार था इस प्रकार अनुविभागीय अधिकारी के आदेश से यह भी स्पष्ट है कि उनके द्वारा आदेश पारित करने के पूर्व आवेदकगण को समुचित साक्ष्य प्रस्तुत करने एवं क्रेताओं को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त	

XXXIX(a)BR(H)-11

-4-

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3609–एक/2016 जिला–छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	अवसर नहीं दिया है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के पूर्णतः विपरीत हे। इस कारण सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) राजनगर द्वारा अपने आदेश में आवेदकगण एवं क्रेताओं के संबंध में निकाले गये निश्कर्षो पर आधारित कर पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) राजगर जिला–छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.7.11 निरस्त किया जाता है। तहसीलदार राजनगर को निर्देश दिये जाते है कि वे तदनुसार ख.नं. 2297/2, 2298, 2299/2, 2300, 2305/2, 2307, 2308/3, 2308/4 कुल किता 08 कुल रकवा 2.282 है0 भूमि पर राजस्व अभिलेख में दर्ज प्रबंधक सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) राजनगर जिला छतरपुर के स्थान पर पूर्ववत आवेदकगण का नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज करें। सदस्य	